न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, करौली श्री पवन कुमार – प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामू सैनी पुत्र श्री धर्मा माली निवासी केशवपुरा, करौली
2. श्री राजेश पुत्र श्री पृथ्वीराज मीना निवासी जाखैर ग्रा.पं.ससेडी करौली – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

निर्णय

दिनांक–27.01.2021

यह प्रार्थना पत्र प्रवर्तन निरीक्षक करौली श्री पवन कुमार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मुखबिर की सूचना पर डी.एस.टी. (जिला स्पेशल टीम) व थाना कोतवाली करौली की टीम द्वारा अवैध रिफिलिंग करते हुए पाये जाने पर 11 घरेलू गैस सिलिण्डर, 2 रिफिलिंग मशीन, 9 नग औजार (प्लाश,पेचकश,बॉसुरी), 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं एक टैम्पो बजाज कम्पनी चैसिस नं. MD2A45AY6JWG24021 को जब्त किया था। उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात् किये जाने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि दिनांक 03.03.2020 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी करौली के द्वारा दिये गये आदेश, कि डी.एस.टी. टीम (जिला स्पेशल टीम) करौली व थाना कोतवाली करौली के दल ने राधेश्याम मैरिज गार्डन करौली शहर के पास घरेलू गैस सिलेण्डरो से ऑटो में अवैध रिफिलिंग करते हुऐ अवैध सिलेण्डरो को पकडा है, की अनुपालना मे जॉच दल जिसमें पवन कुमार प्रवर्तन निरीक्षक करौली, हरविन्द्र शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक नादौती तथा अमित कुमार प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा, राधेश्याम मैरिज गार्डन के पास स्थित केशवपुरा मौहल्ला नगर परिषद करौली पहुचे। मौके पर जॉच एवं निरीक्षण में निम्न स्थिति पायी गयी–

1. यह है कि मौके पर उपस्थित डी.एस.टी. दल के प्रभारी श्री रविन्द्रसिंह एवं थाना कोतवाली के ए.एस.आई. श्री चन्द्रहुसैन ने बताया कि उन्हें मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि मौहल्ला केशवपुरा नगरपरिषद करौली में श्री रामू सैनी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों से ऑटो टेम्पो में अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। सूचना उपरान्त उन्होंने कार्यवाही करते हुए श्री रामू सैनी की दुकान से घरेलू गैस सिलेण्डरों से ऑटो टेम्पो में गैस भरते हुए ग्यारह (11) घरेलू गैस सिलेण्डर, तीन रिफिलिंग मशीन, एक इलेक्ट्रोनिक कॉटा तथा अन्य सहायक उपकरण तथा ऑटो नम्बर RJ-34-PA-3279 बजाज कम्पनी का जिसमें घरेलू गैस सिलेण्डरों से गैस रिफिलिंग की जा रही थी, को पकडा है।
2. यह है कि रूबरू मौतविरान जॉच करने पर ग्यारह गैस सिलेण्डर, एक ऑटो टेम्पो जिसका नम्बर RJ-34-PA-3279 बजाज कम्पनी, हरे–पीले रंग एवं चैसिस नम्बर MD2A45AY6JWG24021, तीन रिफिलिंग मशीन, एक इलेक्ट्रोनिक कॉटा तथा गैस रिफिलिंग करने के अन्य सहायक उपकरण पाये गये।

जिला कलक्टर
करौली

(4)

3. यह है कि मौके पर अवैध रिफिलिंग करते हुऐ पाये गये श्री रामू सैनी पुत्र श्री धर्मा माली से घरेलू गैस सिलेण्डरों से संबंधित कागजात, डायरी तथा अन्य दस्तावेज मॉगे जाने पर श्री रामू सैनी ने मौके पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर उपस्थित RJ-34-PA-3279 ऑटो के ड्राइवर श्री राजेश पुत्र श्री पृथ्वीराज मीना निवासी जाखैर ग्राम पंचायत ससेडी (करौली) ने पूछताछ में बताया कि वह उक्त ऑटो में ज्यादातर श्री रामू सैनी के यहॉ से ही अपने ऑटो में एल.पी.जी. गैस भरवाता है तथा ज्यादातर अपना ऑटो एल.पी.जी. गैस से ही चलाता है।
4. यह है कि उक्त समस्त प्रकरण अवैध रिफिलिंग का पाये जाने तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर मौके से पकडे ऑटो टेम्पो RJ-34-PA-3279 चैसिस नम्बर MD2A45AY6JWG24021, ग्यारह घरेलू गैस सिलेण्डर, तीन रिफिलिंग मशीन, एक इलेक्ट्रोनिक कॉटा तथा अन्य सहायक उपकरणों को जब्त किया गया तथा मौके पर ही जब्ती नामा एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।
5. यह है कि मौके से जब्त ऑटो टेम्पो RJ-34-PA-3279 चैसिस नम्बर MD2A45AY6JWG24021 को वजह सबूत एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली करौली के हेड कान्सटेबल श्री ईश्वरीसिंह बेल्ट नम्बर 14 की सुपुर्दगी में दिया गया तथा ग्यारह सिलेण्डर, तीन रिफलिंग मशीन, एक इलेक्ट्रोनिक कॉटा व 9 नग औजार, प्रबंधक शिव इण्डेन करौली श्री शिवराम मीना की सुपुर्दगी में दिया गया। जब्त की गई सामग्री का विवरण निम्नानुसार है–

01. एल.पी.जी. सिलेण्डर

क्र.सं	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर एस आर नम्बर	टेयर वेट (किलो ग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलो ग्राम)
1	एच पी	561022	15.6	16.350	0.75
2	एच पी	496466	15.9	29.750	13.85
3	एच पी	862481	16.1	16.255	0.155
4	एच पी	482596	16.0	23.500	7.5
5	एच पी	248476	15.0	28.900	13.9
6	एच पी	813898	15.5	29.400	13.9
7	एच पी	577167	15.6	29.4	13.8
8	एच पी	764605	16.0	16.5	0.5
9	एच पी	730195	15.7	15.8	0.1
10	एच पी	823653	15.9	16.0	0.1
11	एच पी	446001	15.7	18.5	2.8

02. रिफिलिंग मशीन–2 नग।

03. इलेक्ट्रोनिक कॉटा–1 नग।

04. औजार (प्लाश,पेचकश,बॉसूरी) 9 नग।

05. टेम्पो RJ-34-PA-3279 चैसिस नम्बर MD2A45AY6JWG24021 ।

इस प्रकार श्री रामू सैनी पुत्र श्री धर्मा माली निवासी केशवपुरा करौली एवं श्री राजेश पुत्र श्री पृथ्वीराज मीना निवासी जाखैर ग्रा.पं. ससेडी, करौली द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) एवं 4(क) एवं 5 एवं 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 2 रिफिलिंग मशीन, 9 नग औजार (प्लाश,पेचकश,बॉसुरी), कांटा एक नग को राजसात् करने के आदेश फरमाने का कथन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

(4)

वकील अप्रार्थी संख्या ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र का मद क्रम संख्या 1 जिस प्रकार लिखा है गलत स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 मौहल्ला केशवपुरा करौली में गैस रिफिलिंग का कार्य नहीं करता है, नाही उसकी कोई दुकान है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सिविल से पोलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है और वह नौकरी की तैयारी कर रहा है। प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये 11 घरेलू सलेण्डर तीन रीफिलिंग मशीन, एक कांटा अप्रार्थी संख्या 1 के नहीं हैं नाही उसका बजाज कम्पनी का आटो है, नाही वह घरेलू सलेण्डर से आटो में गैस रिफिल कर रहा था। प्रार्थना पत्र के मद नं.2 में दर्ज तथ्य अप्रार्थी सं. 1 की जानकारी में नहीं हैं, नाही उक्त उपकरण, गैस सिलेण्डर, टेम्पो, रिफिलिंग मशीन, कांटा एवं अन्य उपकरणों से उसका सम्बन्ध है। प्रार्थना पत्र के मद नं.3 में दर्ज तथ्य गलत है स्वीकार नही है। अप्रार्थी सं. 1 कोई गैस रिंफिलिग का कार्य नहीं करता है नाही वह आटो में गैस रिफिल कर रहा था। प्रार्थना पत्र के मद नं.4 व 5 में दर्ज तथ्य अप्रार्थी सं. 1 की जानकारी में न होने से गलत हैं। प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त जब्तशुदा सामान से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। अंत में अप्रार्थी संख्या 1 के नोटिस की कार्यवाही ड्रोप फरमाने का कथन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के विरुद्ध यह कार्यवाही झूंठी की गई थी, प्रार्थी कोई अवैध रिफिलिंग नहीं कर रहा था। प्रार्थी अपने परिचित गांव के एक सिलेण्डर को भराने के लिये करौली लाया था जिसे अवैध रूप से जब्त कर लिया गया। बाकी सिलेण्डरों से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। अंत में कार्यवाही ड्राप करते हुए प्रार्थी के सिलेण्डर को सुपुर्द फरमाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। मुखबिर की सूचना पर डी.एस.टी. (जिला स्पेशल टीम) व थाना कोतवाली करौली की टीम द्वारा अवैध रिफिलिंग करते हुए पाये जाने पर 11 घरेलू गैस सिलिण्डर, 2 रिफिलिंग मशीन, 9 नग औजार (प्लाश,पेचकश,बॉसुरी), 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं एक टैम्पो बजाज कम्पनी चैसिस नं. MD2A45AY6JWG24021 को जब्त किया था। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि उसका जब्तशुदा सामग्री से कोई संबंध नहीं है और ना ही उसके द्वारा रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। जब्तशुदा सामग्री को राजसात् किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 का कथन है कि वह गांव के एक परिचित के घरेलू गैस सिलेण्डर को रिफिल करवाने लाया था परंतु उसके द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इसलिये हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। उक्त जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 रिफिलिंग मशीन, 9 नग औजार (प्लाश, पेचकश, बॉसुरी), एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा को राजसात् किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि वह राजसात् की गई जब्तशुदा सामग्री व घरेलू गैस सिलेण्डरों की गैस को बाजार दर से विक्रय करवाकर प्राप्त राशि को जमा राजकोष करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करें तथा घरेलू गैस सिलेण्डरों को उनकी कम्पनी में जमा करवायें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, करौली